

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत आन्ध्र प्रदेश हाईकोर्ट मुकाम टीक  
 नवान पुनजा वनाम जायव तह. दूनी  
 कदमा अपील नं. 35 सन्. 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	----------------------------------	---

23/12/2025

अभिभाषक अपीलान्त उपस्थित है। प्रकरण समाप्त अदालत एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अपील के साथ अपीलान्त ने प्रार्थना पत्र स्थगन एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 भी प्रस्तुत किया है। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलान्त की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्त ने बहस में कथन किया कि नायब तहसीलदार दूनी ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.10.2025 के द्वारा अपीलान्त को भूमि आराजी खसरा नं. 1263 रकबा 0.80 हैक्टेयर वाके ग्राम जलसीना तह. दूनी पर अतिक्रमी मानकर भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने एवं 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। उक्त निर्णय पटवारी हलका की गलत रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। अपीलान्त को साक्ष्य सबूत पेश करने का एवं सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विती ताफैसला स्थगित की जावें।

हमने अभिभाषक अपीलान्त की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया। हम प्रार्थना पत्र स्थगन को खारिज किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मिसल तलब कर पत्रावली दिनांक 02.01.2026 को पेश हो।

**NAL**  
 बाबारखत बिजा कठपट्ट  
 - होब -

1293  
 24/12/2025

1322  
 31/12/2025

02/01/2026

आमि. अपीलान्त एवं पेट्रोकार सरकार अपीलान्त अपीलाधीन आदेश से संबंधित मिसल अपीलान्त पत्रावली वास्ते इन्तजार मिसल दिनांक 08/1/2026 को पेश है।

**NAL**  
 बाबारखत बिजा कठपट्ट  
 होब